## छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अधिसूचना संo. 66/2017- राज्य कर

नया रायपुर, दिनांक : 15.11.2017

क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच(172) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. 40/2017- राज्य कर, क्रमांक एफ -10-81/2017/वाक/पांच(144), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 454 में दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सिम्मश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तदीन बनाए गए नियमों में यथाविर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अविध वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशान्सार,

(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 15.11.2017

क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-93/2017/वाक/पांच (172), दिनांक 15.11.2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

## Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Notification No. 66/2017-State Tax

Naya Raipur, 15<sup>th</sup> November, 2017

No. F-10- 93/2017/CT/V (172) - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) and in supercession of notification No. 40/2017-State Tax, dated the 13<sup>th</sup> October, 2017, published in the Gazette(Extraordinary) of Chhattisgarh, vide number 454, dated the 25<sup>th</sup> October, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered person who did not opt for the composition levy under section 10 of the said Act as the class of persons who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(A.P. Tripathi)
Special Secretary